File No.71-2099/592/2021-

संख्या-68/2021/I/73899/2021

प्रेषक,

सौरभ बाबू,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 25 जून, 2021

विषयः- संस्थान परिसर में टाइप-4 के आवासीय भवनों (स्टिल+10 मंजिल)-40 नग के निर्माण कार्य हेतु अवशेष 05 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध मे ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/सिविल/अभि/एन0बी0-84/2012/104 /2021, दिनांक 11-03-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान परिसर में टाइप-4 के आवासीय भवनों (स्टिल+10 मंजिल)-40 नग के निर्माण कार्य हेतु अवशेष 05 प्रतिशत धनराशि के रूप में वास्तविक व्यय की सीमा तक रू0 123.408 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ के अन्तर्गत टाइप-4 के आवासीय भवनों (स्टिल+10 मंजिल)-40 नग हेतु निम्नलिखित शासनादेशों के माध्यम से कुल रू0 2560.282 लाख (स्वीकृत लागत का 95 प्रतिशत) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है:-

क्र0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	अवमुक्त धनराशि (रू0 लाख में)
1	1874/71-2-14-पी0-32/2012,दि0 27.10.2014	770.70
2	16/3934/71-2-14-पी-32/2012, दि0 18.10.2014	161.85
3	75/2015/2899/71-2-15-पी0-32/2012, दिनांक 28 अगस्त, 2015	533.00
4	11/2017/189/71-2-17-पी0-32/2012, दिनांक 06-02-2017	364.872
5	103/2018/2122/71-2-18-पी0-32/2012,दिनांक 22-06-2018	729.86
	कुल योग	2560.282

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 में संस्थान परिसर में टाइप-4 के आवासीय भवनों (स्टिल+10 मंजिल)-40 नग के निर्माण कार्य हेतु अवशेष 05 प्रतिशत, वास्तविक व्यय की सीमा तक रू0 1,23,40,800 (रूपये एक करोड तेईस लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

चालीस हजार आठ सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1) वित्तीय वर्ष 2021-2022 में निर्माण कार्यो के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22, मार्च 2021 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के निदेशक एवं वित्त नियंत्रक का होगा।
2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
3) प्रायोजना हेतु पूर्व निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
5) प्रश्नगत प्रायोजना के अन्तर्गत कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं अन्य विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ की होगी। निर्माण कार्य की गुणवत्ता से निदेशक, संस्थान संतुष्ट होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जाए।
6) इस संबंध में अन्य सुसंगत प्रचलित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा

4- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22, मार्च 2021 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सौरभ बाबू)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ ।
4) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
5) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6) वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
7) महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8) वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।